Form No-III

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम .रायसिंहनगर

अरविन्द्र सिहं बनाम जगविन्द्र सिहं आदि

म मुकदमा 88–92ए–188–209 आरटीएक्ट नम्बर 41 सन् 2025

जी.सी.एम.एस. आईडी 2025/83

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
03.2025	वादी अरविन्द्र सिहं पुत्र श्री गुरमुख सिहं जाति जटसिख निवासी 14 पी एस बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गगांनगर की ओर से श्री सुशील कुमार गोदारा अधिवक्ता ने वाद–पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 06.05.2025 को पेश हो। (सुभाष चन्द्र) आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर	356 3/3/25

6/5/25 वकील वादी व प्रतिवादी गण हाजिर नहीं। वकील गण वादी अनुपस्थित होकर शपथ शब्द किया कि वादी व प्रतिवादी के मध्य पंचायत के माध्यम से समाप्त हो चुकी अब वाद पत्र के कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं ऐसे के वकील वादी ने Not Press किया। वकील वादी के शपथ के आधार पर वाद पत्र मौजूदा क्रम में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसले के अनुसार होकर फाईल दफ्तर हो।

आज्ञे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

अरविन्द्र सिंह

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.05.22 13:20:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner